कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002
Phone: 011-23215487 Email: general-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in/www.esic.in

फाईल संख्या: डी–13 / 11 / आई.कार्ड / 2015–सा.

दिनांक:– 24.01.2022

सेवा में,

1. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप–निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय / उप–क्षेत्रीय कार्यालय।
2. बीमा आयुक्त (राष्ट्रिय प्रशिक्षण अकादमी)।
3. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक / संकायाध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल / कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा शिक्षण संस्थान।

विषय:– कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी पेन्शनर / कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा कार्ड में एकरूपता के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी पेंशनभोगी (पेंशनर्स) / कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा कार्ड की एकरूपता बनाए रखने के लिए एततद्वार निम्नलिखित दिशा–निर्देश नीचे दिए गए हैं।

1. सभी हितलाभार्थियों और उनके आश्रितजनों को व्यक्तिगत फोटो पहचान पत्र सहित चिकित्सा कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 'यूनिक कार्ड नंबर' होगा और चिकित्सा सुविधा लेने के लिए प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
2. फोटो पहचान प्लास्टिक के होंगे। उसका आकार बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट / क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा। इसमें सफेद पृष्ठभूमि होगी और काले रंग में मुद्रण होना होगा। तथापि, फोटो के उपर की पट्टी का रंग निम्नानुसार रहेगा।

क्र.स.	लाभार्थी	रंग (कलर)
(क)	पेंशनभोगी (पेंशनर्स)	हल्का नारंगी (सॉफ्ट आरेंज) नमूने के अनुसार
(ख)	कर्मचारी	आकाशीय नीला (स्काई ब्लू) नमूने के अनुसार
(ग)	आश्रितजन	हल्का नीला (लाईट ब्लू) नमूने के अनुसार

3. ऊपरी बांए स्थान पर राज्य ऐम्बलम और ऊपरी दांए स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लोगो दर्शाना होगा।
4. कार्ड के ऊपरी हिस्से पर 3 डी होलोग्राम होगा (सामान्य शाखा, मुख्यालय द्वारा आपूर्ति) होलोग्राम कार्ड पर इस प्रकार लगाया जाए जिसमें कुछ भाग फोटो पर और कुछ भाग कार्ड पर आए।
5. चिकित्सा कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे और यदि कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी को इसकी सूचना पुलिस और कार्ड जारी प्राधिकारी को देना आवश्यक है।
6. अनुलिपि (डुप्लिकेट) चिकित्सा कार्ड लेने के लिए संबंधित कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी को एफ.आई.आर. की प्रति के साथ, कार्ड जारी प्राधिकारी द्वारा निर्णतानुसार प्रभार सहित दोबारा कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
7. पेंशनभोगी के मामले में, पेंशनभोगी जहाँ से पेंशन का आहरण कर रहा है वहाँ के कार्यालय प्रमुख, चिकित्सा कार्ड के साथ–साथ पहचान पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

प्लास्टिक चिकित्सा कार्ड का नमूना तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरी।

(अमित कुमार)
उप–निदेशक (सामान्य)

प्रतिलिपि:–

वेबसाईट सामग्री प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।